बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email:shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 51 दिनांक 13-11-2017

सेवा में,

प्रधान सचिव,
गृह विभाग, बिहार।

विषयः **गृह विभाग का पत्रांक 6211, दिनांक– 09.06.2008 एवं पत्रांक 6818, दिनांक– 23.08.2017 का अनुपालन नहीं होने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक गृह विभाग के पत्रांक 6211, दिनांक– 09.06.2008 एवं पत्रांक 6818, दिनांक– 23.08.2017 में यह निदेश दिया गया है कि **"किसी विभाग अथवा संगठन से संबंधित किसी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है, जिसमें विभाग/संगठन/सरकार को क्षति हुई है, तब ऐसी परिस्थिति में संबंधित विभाग/संगठन के प्रधान के परामर्श से ही आपराधिक मामला दर्ज करेगा। प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह जानना भी आवश्यक होगा कि आरोपित सरकारी अधिकारी/कर्मी का दोष प्रशासनिक नियमों की अवहेलना का है अथवा आपराधिक प्रवृति का है। यदि प्रशासनिक लापरवाही अथवा गलतियाँ हुई हैं तो विभागीय कार्रवाई पर्याप्त हो सकती है। प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह अवश्य सुनिश्चित होना होगा कि दुराशय/अपराध भावना (Mens rea) भी सरकारी कर्मी के व्यवहार/आचरण (Conduct) में निहित था। यह ध्यान में रखना चाहिये कि Not all losses are criminal losses."** इस निदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। वर्त्तमान मामलें में SIT द्वारा भी इस निदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

दिनांक– 08.10.2017 को केन्द्रीय कार्यकारणी की बैठक में सदस्यों द्वारा गृह विभाग के निदेश का अनुपालन नहीं होने पर रोष व्यक्त किया गया है।

संघ का अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित पत्रों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में सरकार के निदेश का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाय।

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः— सम्पादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

पत्र संख्या–ई/वि0–01–425/07– 6211

बिहार सरकार
गृह विभाग

(45)

प्रेषक,

श्री अफज़ल अमानुल्लाह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला दण्डाधिकारी
सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक
सभी पुलिस अधीक्षक ।

पटना, दिनांक 9, जून, 2008

विषय : सरकारी कार्यों में कार्यरत सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा करने/ प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ऐसा कई बार पाया गया है कि बिना application of mind तथा mens rea देखे ही सरकारी पदाधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध क्षेत्रीय/विभागीय पदाधिकारियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है । अक्सर इसका कुप्रभाव विकास एवं अन्य कार्यों की प्रगति पर पड़ता है जो राज्य हित एवं लोकहित के प्रतिकूल है ।

अतः उपर्युक्त विषय के संबंध में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किन्ही परिस्थितियों में यह पाया जाता है कि किसी विभाग अथवा संगठन से संबंधित किसी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है, जिसमें विभाग/संगठन/सरकार को क्षति हुई है, तब ऐसी परिस्थिति में संबंधित विभाग/संगठन के प्रधान के परामर्श से ही आपराधिक मामला दर्ज करेगा । प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह जानना भी आवश्यक होगा कि आरोपित सरकारी अधिकारी/कर्मी का दोष प्रशासनिक नियमों की अवहेलना का है अथवा आपराधिक प्रवृति का है । यदि प्रशासनिक लापरवाही अथवा गलतियाँ हुई हैं तो विभागीय कार्रवाई पर्याप्त हो सकती है । प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह अवश्य सुनिश्चित होना होगा कि दुराशय/अपराध भावना (mens rea) भी सरकारी कर्मी के यवहार/आचरण (conduct) में निहित था । यह ध्यान में रखना चाहिये कि not all losses re criminal losses.

ध्यान रहे कि सभी सरकारी अधिकारी/कर्मी, राज्य सरकार के अंग हैं इसलिए दि किसी के कार्यकलाप से सरकार को क्षति होती है तो सरकार, जो कि नियोजक mployer) है, उसी को यह अधिकार प्राप्त रहता है कि वह उक्त कर्मी पर किस प्रकार की र्रवाई करे ।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अफज़ल अमानुल्लाह)
प्रधान सचिव

पत्र संख्या-- 3 / सी0--4--10--27 / 2016गृ0 आ0------------- /

बिहार, सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

दुर्गेश कुमार पाण्डेय,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष /

सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी /

सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक /

सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय :- सरकारी कार्यो में कार्यरत सरकारी पदाधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध मुकदमा करने / प्राथमिकी दर्ज करने संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक–6211, दिनांक–09.06.2008

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि उक्त पत्र के द्वारा सरकारी कार्यो में कार्यरत सरकारी पदाधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध मुकदमा दायर करने / प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी दिशा निदेश निर्गत किया जा चुका है, परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जाता है।

अतएव उक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसका सख्ती से अनुपालन कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:–3 / सी0–4–10–27 / 2016गृ0 आ0---6818------- / पटना, दिनांक 23/8/17

प्रतिलिपि :--आई0टी मैनेजर, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को डाऊनलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/08/17

सरकार के उप सचिव